okf"kd lkfgR; vdknseh Hkk"kk lEeku fu;e

1- प्रत्येक वर्ष दो श्रेणियों में 6 भाषा सम्मान प्रदान किए जाएँगे। दो भाषा सम्मान उन लेखकों/विद्वानों को दिए जाएँगे जिन्होंने कालजयी और मध्यकालीन साहित्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हो तथा चार सम्मान बारी–बारी से उन विद्वानों/लेखकों को दिए जाएँगे जिन्होंने किन्हीं उन चार भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान दिया हो जिन्हें साहित्य अकादेमी ने मान्यता प्रदान नहीं की है।

2- कालजयी और मध्यकालीन साहित्य के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं को भाषा सम्मान के लिए विचारार्थ रखा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं, जैसे संस्कृत ग्रंथ पर किया गया कार्य संस्कृत में ही लिखा हो अथवा भारतीय फ़ारसी पर किया गया कार्य फ़ारसी में ही लिखा हो। वह अंग्रेज़ी अथवा किसी भी अन्य मान्यता प्रदत्त भाषा में हो सकता है। पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश जैसी भाषाओं में लिखे गए विद्वत्तापूर्ण कार्य भी इस सम्मान के पात्र हैं, संपादन कार्य जिसमें कालजयी भाषाओं एवं मूलपाठ में मूल विद्वत्तापूर्ण कार्य शामिल हों तथा जो परिचय, टीका, विवेचना, सत्यता आदि में प्रतिबिंबित होती हों, पर भी विचार किया जा सकता है।

   गैर–मान्यता प्राप्त भाषाओं में भाषा सम्मान हेतु उन लेखकों, विद्वानों संपादकों, संग्रहकर्ताओं, कोशकारों, अनुसंधानकर्ताओं अथवा अनुवादकों जिन्होंने अपनी संबद्ध भाषाओं के संवर्धन, आधुनिकीकरण अथवा उन्नयन हेतु उत्कृष्ट योगदान दिया हो, पर भी विचार किया जा सकता है। अंग्रेज़ी सहित अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं में लिखित कार्य भी पुरस्कार के योग्य होंगे, बशर्ते संबंधित विषय चयनित भाषा से पूर्णतः संबद्ध हो।

   व्याकरण के अग्रणी कार्यों सहित कार्य सृजनात्मक अथवा समालोचनात्मक हो सकते हैं। उत्कृष्ट शब्दकोशीय कार्य, तथा व्याकरण के अग्रणी कार्यों, भाषा संरचना के अध्ययन संबंधित कार्यों पर भी विचार किया जा सकता है।

3- अकादेमी के परामर्श मंडल के सदस्य तथा जिन लेखकों ने अकादेमी के अनुवाद पुरस्कार के अतिरिक्त यदि साहित्य अकादेमी का कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया होगा तो वे इस सम्मान के लिए विचारणीय पात्र नहीं होंगे।

ifØ;k

dkyt;h vkSj e/;dkyhu {ks= esa fn, tkus okys Hkk"kk lEeku

1- कालजयी और मध्यकालीन क्षेत्र में दिए जाने वाले भाषा सम्मान हेतु परामर्श मंडल के सदस्यों से भाषा सम्मान के विचारार्थ लेखकों/विद्वानों के नाम सुझाने का अनुरोध किया जाता है।
2- अध्यक्ष, भाषा विकास मंडल द्वारा सुझाए गए पैनल के तीन सदस्यों की एक जूरी का गठन करेंगे। जूरी अनुशंसाओं पर विचार करेगी तथा भाषा सम्मान के लिए दो लेखकों/विद्वानों का चयन करेगी।
3- जूरी की अनुशंसाओं को कार्यकारी मंडल के समक्ष औपचारिक अनुमोदन एवं घोषणा हेतु रखा जाएगा।
4- भाषा सम्मान की घोषणा के साथ ही जूरी सदस्यों के नाम सार्वजनिक किए जाएँगे।

xSj&ekU;rk izkIr Hkk"kkvksa esa ;ksxnku gsrq Hkk"kk lEeku

1- भाषाओं को विशिष्ट वर्ष में भाषा सम्मान प्रदान किए जाने का निर्णय भाषा विकास मंडल करेगा।
2- भाषा विकास मंडल द्वारा सुझाए गए नामों के पैनल में से अध्यक्ष एक त्रिसदस्यीय जूरी गठित करेगा जो भाषा सम्मान के लिए उपयुक्त विद्वानों के नामों की अनुशंसा करेगी।
3- जूरी की अनुशंसाओं को कार्यकारी मंडल के समक्ष औपचारिक अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।
4- भाषा सम्मान की घोषणा के साथ ही जूरी सदस्यों के नाम सार्वजनिक किए जाएँगे।